

विज्ञापन

**कार्यालय कार्यपालन अभियंता सह-सदस्य सचिव
परियोजना क्रियान्वयन इकाई, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
जिला पंचायत भवन कोबिया, बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)**

दूरभाष क्र.-07824-222538, E-mail ID :- pmsgsv.bmt@gmail.com, pmsgsy-bmt.cg@gov.in

क्रमांक 2454/विज्ञा./पीआईयू/छगग्रासविअ/2017

बेमेतरा, दिनांक 15/12/2017

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर के आदेश क्र. 1137/पंग्राविवि/22/2012 रायपुर दिनांक 11/07/2012 में दिये गये निर्देशानुसार एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 4 (2) के प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु रिक्त पदों पर एक वर्ष की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, विशेष योग्यता सहित वांछित अर्हताधारी एवं योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ.ग.) में दिनांक 05.01.2018 सायंकाल 5:00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

| स.क्र. | पदनाम | एकमुश्त वेतन | रिक्त पदों का विवरण | | | | | | | | | | | | | | | रिमांक |
|--------|--|--------------|---------------------|-------|-----|-------|-------|-----|---------|-------|-----|-----------|-------|-----|-------|-------|-----|--------|
| | | | अ.ज.जा. | | | अजा. | | | अ.पि.व. | | | अनारक्षित | | | योग | | | |
| | | | मुक्त | महिला | योग | मुक्त | महिला | योग | मुक्त | महिला | योग | मुक्त | महिला | योग | मुक्त | महिला | योग | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | आटा ऐन्ट्री आपरेटर (संविदा) (02 पद) | 16445/- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| योग :- | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |

उपरोक्त संविदा नियुक्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला-बेमेतरा (छ.ग.) की वेबसाइट WWW.Bemetara.gov.in पर प्राप्त कर सकती हैं तथा समय-समय पर की गयी कार्यवाही उक्त वेबसाइट पर अपलोड की जावेगी।

58

योग्यता एवं वेतनमान :-

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा)

1. किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण।

2. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी)।
3. छ.ग.शासन समान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्र. एफ. 9-4/2015/1/3/नया रायपुर, दिनांक 23.01.2015 द्वारा कम्प्यूटर विषय से संबंधित निम्नांकित परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/उपाधि को मान्यता प्रदान की गई है :-
 1. मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में एकवर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।
 2. मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेकनीकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईस/इंफारमेशन टेक्नालॉजी/माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (02 वर्ष से अन्यून)
 3. वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड यूनिवर्सिटी/इंदिरा गांधी मुक्त विश्व विद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईस/इंफारमेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि।
4. DOEACC सोसाईटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा।

नियम एवं शर्तें :-

1. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापति छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि उम्मीदवार का आवेदन दिनांक 05.01.2018 को साय: 5:00 बजे तक कार्यालय अवधि में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से कार्यालय कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण बेमेतरा, जिला-बेमेतरा, (छ.ग.) में अनिवार्य रूप से प्राप्त होना चाहिए। विलंब, अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। इस कार्यालय से इस संबंध में किसी भी तरह की सिफारिश अथवा संबंधित पत्राचार मान्य नहीं किया जावेगा।
3. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 02 लिफाफा (05-05 रुपये) डाक टिकट चिपका हुआ सहित संलग्न करना आवश्यक है।
4. व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन प्राप्त नहीं किये जायेंगे।
5. जाति की पुष्टि में आवेदक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी तथा प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

6

6. अनारक्षित वर्ग उम्मीदवार के मामले में आयु सीमा 01.01.2018 की तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जावेगी।
7. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ 3-2/2015/1-3/नया रायपुर दिनांक 23.01.2017 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छुट कैलेण्डर वर्ष 2018 की समाप्ति तक प्रदान किया जावेगा। अन्य विशेष वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में प्राप्त छुट यथावत लागू रहेगी, किन्तु सभी छुटों को मिलाकर उनके आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
8. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
9. कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
10. पहले से कार्यरत शासकीय/अर्द्धशासकीय कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा जारी अन्नापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
11. संबंधित रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक का उल्लेख करते हुए प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
12. उक्त पद हेतु चयन शैक्षणिक योग्यता के मैरिट एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जावेगा।
13. नियुक्ति 01 वर्ष के लिए होगी तथा नियुक्ति के दौरान एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
14. संविदा में नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्त शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिये किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
15. आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किये जाने चाहिए।
16. लिफाफे के उपर स्पष्ट अक्षरों में आवेदित पद का नाम, वर्ग तथा भेजने वाले का पूरा नाम व पता लिखा होना चाहिए। संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिये होगी।
17. विभाग द्वारा आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्ति की उपर्युक्ता का आंकलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा। संविदा अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
18. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके।
19. संविदा नियुक्ति पश्चात् नियोक्ता के साथ अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा।
20. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे और इसके संबंध में पत्र व्यवहार नहीं की जावेगी। उपरोक्त वांछित योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार आवेदन न करें।
21. आवेदनों की संख्या रिक्त पद की संख्या से अधिक होने की स्थिति में 1:10 में सत्यापन हेतु बुलावा पत्र भेजा जावेगा। इस हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
22. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में कलेक्टर महोदय, बेमेतरा द्वारा लिया गया निर्णय मान्य एवं सर्वोपरि होगा।

56

| पद | अर्हता परीक्षा | दक्षता परीक्षा | योग |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----|
| डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) | 80 | 20 | 100 |

कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव
परियोजना क्रियान्वयन इकाई
छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

आवेदन का प्रारूप

प्रति,

कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,
छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,
बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

फोटो
स्वप्रमाणित
चस्पा करें

- आवेदित पद का नाम :-
1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :-
 - (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) :-
 2. पिता/पति का नाम :-
 3. अ. जन्म तिथि (अंकों में) :- वर्ष माह दिन.....
 - ब. शब्दों में :-
 4. दिनांक 01.01.2018 को आयु :- वर्ष माह दिन.....
 5. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :-
 - :-
 - :-
 6. स्थायी पता :-
 - :-
 - :-
 7. वर्ग (अजजा/अजा/अपिव/सामान्य) :-
 8. रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित :-
 - पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक :-
 - (सत्यापित प्रति संलग्न करें)
 9. क्या अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते :-
 - हैं? यदि हाँ तो किस श्रेणी में उल्लेख करें।
 10. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी :-
 - हैं? (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
 11. क्या आवेदक छ.ग. राज्य द्वारा छ.ग. राज्य :-
 - के लिए घोषित अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है?
 - (यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

शेष पृष्ठ 2 पर.....

12. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

| क्र. | परीक्षा का नाम | बोर्ड/वि.वि. का नाम | उत्तीर्ण होने का वर्ष | प्राप्तांक/पूर्णांक | प्रतिशत |
|------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |

13. क्या आवेदक/आवेदिका के विरुद्ध कोई दण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में अनुसंधान/विचारण हेतु लंबित है अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है। हों तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

14. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि, इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि असत्य पायी जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी और मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता
(मोबाईल नंबर)